प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0,
लखनऊ।

(2) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः 23 अगस्त, 2025**

विषयः-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कम्प्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-148/अड़तीस-9-08-500(76)/07टी0सी0 दिनांक 22.02.2008 एवं शासनादेश संख्या-1093/38-9-8-500(96)/07 दिनांक 03.10.2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधायक निधि से रू0 1.25 लाख का सीमा तक मा0 विधायकगण के उपयोगार्थ लैपटॉप/कम्प्यूटर यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन से न्यूनतम दर पर उन्नत विशिष्टियों के विवरण के अनुसार क्रय कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से मा0 विधायकगण (विधान सभा/विधान परिषद) के उपयोगार्थ लैपटॉप/कम्प्यूटर/टैबलेट क्रय किये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित धनराशि की सीमा रू0 1.25 लाख से बढ़ाकर रू0 2.5 लाख की जाती है। अब मा0 विधायकगण (विधान सभा/विधान परिषद) के उपयोगार्थ इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-डब्लू-43/4/2020-आईपीएचडब्लू दिनांक 19.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा लैपटॉप/कम्प्यूटर के मिड रेंज में दी गयी विशिष्टियों के बराबर या उससे उच्च विशिष्टि के लैपटॉप/कम्प्यूटर हेतु निर्धारित मानक के अनुसार रू0 2.5 लाख अधिकतम सीमा तक क्रय किये जा सकेंगे। अतः शासनादेश संख्या-148/अड़तीस-9-08-500(76)/07टी0सी0 दिनांक 22.02.2008 एवं शासनादेश संख्या-1093/38-9-8-500(96)/07 दिनांक 03.10.2008 को उक्त सीमा तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संशोधित समझा जाय। शासनादेश संख्या-148/अड़तीस-9-08-500(76)/07टी0सी0 दिनांक 22.02.2008 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-37/2025/सा0-229/अड़तीस-7-2025/38-9099(99)/17/2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री (ग्राम्य विकास विभाग), उ0प्र0, लखनऊ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (ग्राम्य विकास विभाग), उ0प्र0, लखनऊ।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, शासन।
4- निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, शासन।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति जनपद के सभी मा0 विधायकगण (विधान सभा/विधान परिषद) को 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायेंगे।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।